



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14495

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45166/2025

हरी शंकर

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: अभय कुमार पांडेय, अकील अहमद

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हितेश पचौरी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 10.06.2025 के निर्देश न्यायालय के समक्ष रखे गए, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 5 एवं 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हितेश पचौरी ने तर्क दिया कि निजी प्रत्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत द्वितीय अपील संख्या एजी202601010014/2025, राजस्व परिषद, सर्किट कोर्ट, आगरा के समक्ष 15.12.2025 को दायर की गई है, लेकिन याची ने वर्तमान याचिका में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है।
3. इसके उत्तर में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान याचिका दायर करने के बाद प्रत्यर्थियों द्वारा उपरोक्त द्वितीय अपील दायर की गई है, इसलिए वर्तमान याचिका दाखिल करते समय उनके द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।
4. राजस्व परिषद, सर्किट कोर्ट, आगरा के समक्ष द्वितीय अपील दायर होने की जानकारी मिलने के बाद, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस स्तर पर वर्तमान याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
5. तदनुसार, वर्तमान याचिका इस स्तर पर खारिज की जाती है।
6. यदि याची भविष्य में नई याचिका दायर करता है, तो वह इसकी एक प्रति निजी प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री हितेश पचौरी (अधिवक्ता रोल संख्या 0168/2012) को प्रेषित करेगा।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

20 जनवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"